भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 अलीगढ़ से कानपुर के किमी0 229.00 से 289.00 (कल्याणपुर से नवीगंज) तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण के निर्माण में प्रभावित होने वाले 97.896 हे0 संरक्षित वन का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. -24596/2017

14.	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं)। यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ, दिनांक 18.01.2018 निरीक्षण नोट संलग्न है।
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें –	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण निरीक्षण नोट के बिन्दु सं0–3, 4 एवं 5 में उल्लिखित शर्त के साथ संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 23.1.18

स्थान : आगरा।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा

श्री रमेश कुमार पाण्डेय, वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा दिनॉक 18–01–2018 को जनपद मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के फोरलेन चौड़ीकरण हेतु एन0एच0ए0आई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सं0–24596/2017 पर निरीक्षण नोट :–

प्रभागीय निदेशक एंव उप प्रभागीय वनाधिकारी, मैनपुरी एवं सम्वन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी , स्थानीय स्टाफ व एन0एच0ए0आई0 के परियोजना निदेशक के साथ किमी0 229 से 289 तक 60 किमी0 फोरलेन चौड़ीकरण प्रस्ताव के सम्वन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया । उक्त मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक आ रहे वृक्षों के प्रगणना रिपोर्ट में दर्ज किमी0 230 में वृक्षों की नम्वरिंग, प्रजाति एवं गोलाई का सत्यापन किया गया । उक्त मार्ग के कुरावली बाईपास के जंक्शन पोइन्ट पर रूक कर एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियो से जानकारी ली एवं विचार विमर्श किया । तदोपरान्त उक्त मार्ग का किमी0 289 तक जगह जगह रूक कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न तथ्य स्पष्ट हुये :–

1– निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त मार्ग पर अत्यधिक यातायात का दवाव है इसलिए जनहित में उक्त मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरण किया जाने का प्रस्ताव आवश्यक है । उपरोक्त मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण में 11377 वृक्ष बाधक पाये गये जो कि मैनपुरी एवं भोगॉव रेंज के अन्तर्गत आते है । जिसके अन्तर्गत एन0एच0ए0आई0 की गणना शीट के अनुसार 97.896 हे0 संरक्षित वन भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जिसके बदले में दुगने क्षेत्रफल 195.792 हे0 अवनत लैण्ड बैक वनभूमि फिरोजाबाद प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 73646133.00 एवं एन0पी0वी0 हेतु रू0 61282896.00 की धनराशि प्रस्तावित की गई है ।

2– उक्त मार्ग पर पूर्व में सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार की पत्र सं0 1429/14–2–2013 दि0 16–08–213 द्वारा स्वीकृत हुआ था, जिसमें 24.27 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हुई थी । जिसके बदले में दुगने अवनत वनभूमि पर मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न वन व्लाकों में 48.54 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण कार्य प्रस्तावित किया गया था। 48.54 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण कार्य पर व्यय हेतु धनराशि रू0 10140620.00 व एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 19488810.00 , एक लाख पौध नर्सरी स्थापित करने हेतु 5354000.00 एव उक्त मार्ग के किनारे अवशेष भूमि पर 85.62 हे0 में स्ट्रिप प्लानटेशन एवं 5 वर्ष के रखरखाव हेतु रू0 8650000.00 प्रस्तावक विभाग द्वारा कैम्पा निधि में जमा कर दी गई थी ।

3– उपरोक्त विधिवत स्वीकृति की शर्तो के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर उपरोक्त मार्ग के चौडीकरण के उपरान्त 85.62 हे0 में स्ट्रिप प्लानटेशन एवं 5 वर्ष के रखरखाव सहित किया जाना था । उपरोक्त स्थल के चौड़ीकरण कार्य हेतु 11088 वृक्षों का पातन किया जा चुका है लेकिन चौड़ीकरण कार्य नहीं किया गया है । जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति की शर्त के अनुसार चौड़ीकरण के बाद सड़क के दोनो तरफ 85.62 हे0 का स्ट्रिप प्लानटेशन कार्य नहीं किया जा सका। जिसके कारण पूर्व में निर्गत स्वीकृति की शर्तो का पालन नहीं किया गया है ।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उपरोक्त मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण ने प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार सड़क के दोनो तरफ स्ट्रिप प्लानटेशन हेतु कोई संरक्षित वनभूमि अवशेष नहीं रहेगी। जिसके कारण **भविष्य में 85.62 हे0 का वृक्षारोपण किये जाने की सम्भावना पूर्णतः समाप्त हो गई है।** उपरोक्त शर्त के पालन हेतु एवं पातन किये गये 11088 की भरपायी हेतु आवश्यक हो गया है कि इस मार्ग के दोनो किनारो पर हरित पटट्ीका विकसित करने के लिए 10–10 मीटर चौड़ी भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अधिग्रहित कर वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। यदि सड़क के किनारे अधिग्रहण करने में व्यवहारिक कठिनाई आ रही हो तो मैनपुरी जनपद के अन्तर्गत सौनासी ग्राम समाज में उपलब्ध 85.62 हे0 भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही कराये ताकि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई विधिवत स्वीकृति दिनॉक 16–08–2013 के शर्तो का अनुपालन किया जा सकें ।

4– उपरोक्त मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण में 11377 वृक्ष बाधक है । जिसके पातन की भरपाई करने हेतु दुगने वृक्ष लगाना प्रस्तावित किया जाता है । जिनमें से शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुरावली , भोगॉव एवं बेबर टाउन एरिया क्षेत्र में सड़क किनारे सीमित क्षेत्र होने के कारण 11377 आयरन ट्रीगार्ड से वृक्षारोपण कराया जाना उचित रहेगा । साथ ही उक्त मार्ग से जुड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के किनारे पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध होने पर 11377 पौधें ब्रिकगार्ड द्वारा रोपित करना उचित होगा। जिसके कारण चौड़ीकरण में बाधक आ रहे वृक्षों के कटान से हुई पर्यावरणीय क्षति की भरपाई की जा सके। निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक ने बताया कि कुरावली, भोगॉव व बेबर पर 15. 50 किमी0 का बाईपास निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त बाईपास के निर्माण उपरान्त अवशेष भूमि पर पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षारोपण किया जाना उचित होगा ।

5– उपरोक्त मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण के पश्चात निर्मित होने वाली सेन्ट्रलवर्ज पर शोभाकार प्रजातियों के रोपण हेतु नीचे की पक्की सड़क को तोड़कर ही सेन्ट्रलवर्ज का निर्माण करना आवश्यक है। उक्त मार्ग के सेन्ट्रलवर्ज पर 60 किमी0 में 2–2 मीटर की दूरी पर लगभग 30000 शोभाकार पौधों के रोपण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि प्राप्त करना उचित रहेगा । ताकि उक्त फोरलेन मार्ग पर गुजरने वाले वाहनो से उत्पन्न वायु प्रदूषण को सड़क मार्ग पर ही शोभाकार वनस्पति द्वारा अवशोषित किया जा सकें।

अतः उपरोक्त बिन्दु सं0–3, 4 एवं 5 की शर्त के साथ जनहित में प्रस्ताव पर सहमति दी जा सकती है।

23.1.18

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा